न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024 / 39

दायर दिनांक 01.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

–सायल–

बनाम

पंकज कुमार उर्फ कालु पुत्र देवकरण जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू।

–गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

निर्णय   दिनांक : 09.12.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल पंकज कुमार उर्फ कालु पुत्र देवकरण जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू पंकज कुमार उर्फ कालु पुत्र देवकरण जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने व अवैध शराब बेचने का आदी है। जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ–साथ एक सामाजिक बुराई है। इसका समाज के लोगों व नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गैर सायल ऐसा दुःसाहसिक एवं भयावह व्यक्ति हो चुका है, कि उक्त अपराध कारित करने में कतई नहीं डरता है और आमजन साधारण में इसका भय इस कदर व्याप्त है, कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध शिकायत करने का साहस तक नहीं कर पाता है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल पंकज कुमार के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	143 / 10.05.2014	458, 307, 323, 341, 324, 427, 143 भादस	तारानगर	30.06.2020	पैण्डिगं कोर्ट
2	148 / 09.12.2020	9 / 11 राज. धूम्रपान प्रति. अधि.	साहवा	04.01.2021	सजा 04.01.2021
3.	168 / 26.09.2022	13 आरपीजीओ	साहवा	11.01.2023	सजा 11.01.2023
4.	14 / 22.01.2023	13 आरपीजीओ	साहवा	20.04.2023	सजा 20.04.2023
5.	48 / 03.04.2023	19 / 54 राज. आब. अधि.	साहवा	13.06.2023	पैण्डिगं कोर्ट

अर्पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

6.	129 / 21.07.2022	13 आरपीजीओ	साहवा	28.07.2022	सजा 28.07.2022
7.	87 / 19.05.2024	13 आरपीजीओ	साहवा	24.05.2024	पैण्डिगं कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल पंकज कुमार उर्फ कालु की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस इस्तगासा एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 03 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासा के अनुसार गैरसायल को 13 आर.पी.जी.ओ के तहत 03 बार चालान पेश कर सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल की ओर से भी इस्तगासा में अंकित तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल पंकज कुमार उर्फ कालु पुत्र देवकरण जाति मेघवाल उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 05 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा जिला चूरू गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 05 दिवस के लिए रहेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता 09/12/25

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)